न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 128 / 2022

श्री महेश कुमार दूत पुत्र रामेश्वर लाल, ग्रा0पो0 कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 02.05.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13.04.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 128 / 2022 पर दिनांक 13.04.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 1491—92 दिनांक 13.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 699 दिनांक 29.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक महेश कुमार को इस कार्यालय के पत्रांक 669 दिनांक 30.03.2022 द्वारा अवगत करवाया गया था कि आपके द्वारा बिन्दू सं0 क से घ तक की जो सूचना चाही गई थी वह सूचना किसी तीसरे पक्ष के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) ञ के अन्तर्गत प्रावधान है कि सूचना के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित सूचना तभी दी जा सकती है जब उस सूचना से विस्तृत लोक हित हो। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना मे कोई लोकहित समाहित नही है। अतः आपको सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0 / 2022 / 699 दिनांक 29.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक महेश कुमार को उनके कार्यालय के पत्रांक 669 दिनांक 30.03.2022 द्वारा अवगत करवाया गया था कि आपके द्वारा बिन्दू सं0 क से घ तक की जो सूचना चाही गई थी वह सूचना किसी तीसरे पक्ष के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) ञ के अन्तर्गत प्रावधान है कि सूचना के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित सूचना तभी दी जा सकती है जब उस सूचना से विस्तृत लोक हित हो। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना मे कोई लोकहित समाहित नही है। अतः अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। चूंकि अपीलार्थी के आवेदन से स्पष्ट है कि चाही गई सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) ञ से परे है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि मे कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 02.05.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 16:30:29 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं